न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. योगेश कुमार पुत्र भंवरलाल जी, जाति- माली, निवासी- डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, हरिओम गली, हरिओम भवन, सिरोही, जिला- सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्म:- हरि ओम, राजमाता धर्मशाला रोड, सिरोही, जिला- सिरोही

2. महेश परबत पुत्र श्री जगदीश परबत, निवासी- 55 सारणेश्वर जी वार्ड नं. 21, सिरोही, जिला- सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्म:- सारणेश्वर ट्रेडर्स, जिला उद्योग केन्द्र के सामने, सिरोही, जिला- सिरोही

3- NAVDEEP SORYAN, C-2/6 TATA STEEL OFFICE ENCLAVE NEAR JAGAT FARM BETA-1 GREATER NOIDA SURAJPUR GAUTAM BUDH NAGAR (UP)
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी निर्माता फर्म)

फर्म:- SANWARIA SWEETS PRIVATE LIMITED, F-837 & 838, RIICO Industrial Area, Phase-III, Sitapura, Jaipur-302022

4- SANWARIA SWEETS PRIVATE LIMITED, F-837 & 838, RIICO Industrial Area, Phase-III, Sitapura, Jaipur-302022

प्रकरण संख्या: 46/2021

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 "

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री हरिओम दत्ता, प्रतिवादीगण की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक 15 मार्च, 2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 06.11.2020 को दौराने गश्त समय 06.00 पी.एम. पर फर्म हरिओम, राजमाता धर्मशाला रोड, सिरोही, जिला- सिरोही पँहुचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से योगेश कुमार पुत्र भंवरलाल जी, जाति- माली, निवासी- डॉ.सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, हरिओम गली, हरिओम भवन, सिरोही, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक [illegible] अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले [illegible] (कान्हा ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य [illegible] 2006 के तहत जांच हेतु

.....पेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:43 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजि. [illegible]
सिरोही-[illegible]

नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) के 40 पेक्ड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम) में से सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम) जांच हेतु खरीदे एवं खरीदशुदा सोन पपडी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) की कीमत 560/- रुपये नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म संख्या 5ए तैयार कर, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर किये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीदं प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-1246, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। खरीदशुदा सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) के चारों नमूना पैकेटो पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारो नमूना पैकेटों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1246 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता योगेश कुमार व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैनें स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 09.11.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेन्द्र कुमार, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 06.11.2020 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता योगेश कुमार से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ सोन [illegible] नमूना S-1246 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। इस प्रकर[illegible]त समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन [illegible] अभियोजन स्वीकृति

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:43 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही-307001

हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर प्रतिवादीगण के द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरिओम दत्ता उपस्थित हुए एवं प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 02.3.2022 को श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नहीं हुये। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि दिनांक 06.11.2020 को 06.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म हरिओम, राजमाता धर्मशाला रोड, सिरोही, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म हरिओम, राजमाता धर्मशाला रोड, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से योगेश कुमार पुत्र भंवरलाल जी, जाति- माली, निवासी- डॉ.सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, हरिओम गली, हरिओम भवन, सिरोही, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म हरिओम, राजमाता धर्मशाला रोड, सिरोही के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री लक्ष्मण सिंह, सरस डेयरी, पॉवर हाउस के सामने, अनादरा रोड, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता योगेश कुमार को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष दुकान में आलमारी की रैक में बिक्री हेतु रखे हुए सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) के 40 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम) में से सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम) को जांच हेतु खरीदा एवं खरीदशु[illegible] की कीमत राशि रुपये 560/- (अक्षरे रुपये पांच सौ साठ मात्र) न[illegible] अदा [illegible] खरीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध है

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:43 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही-307001

जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता योगेश कुमार, गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-1246, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता योगेश कुमार व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) के खरीदशुदा चारों पैक्ड पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1246 को नियमानुसार गोंद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबाकरर्ता योगेश कुमार, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म हरिओम, राजामाता धर्मशाला रोड, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता योगेश कुमार से खाद्य पदार्थ सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 09.11.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री महेन्द्र कुमार, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 06.11.2020 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1246 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:**L.S./851/Act/2020/851 दिनांक** 15.12.2020 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म हरिओम, राजमाता धर्मशाला रोड, सिरोही, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता योगेश कुमार से वास्ते जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) का नमूना S-1246 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:43 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2021/99-102 दिनांक 05.01.2021 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी योगेश कुमार को एवं फर्म सांवरिया स्वीट्स प्रा. लि., जयपुर को प्रेषित कर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील आवेदन प्रारुप 8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित ने अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी योगेश कुमार की फर्म हरिओम, राजामात धर्मशाला रोड, सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) के 400 ग्राम के पैक्ड पैकेटों को बिल इनवोईस नम्बर 9 दिनांक 23.10.2020 के द्वारा फर्म सारणेश्वर ट्रेडर्स, जिला उद्योग केन्द्र के सामने, सिरोही से क्रय किये थे जो प्रतिवादी संख्या-2 (महेश परबत) की फर्म है। प्रतिवादी महेश परबत की फर्म सारणेश्वर ट्रेडर्स, सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) के 400 ग्राम के पैक्ड पैकेटों को फर्म सांवरिया स्वीट्स प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर से इनवोईस नम्बर U2PVATI20208887 दिनांक 28.10.2020 के द्वारा क्रय किये थे, जो खाद्य पदार्थ सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी योगेश कुमार पुत्र भंवरलाल जी, जाति- माली, निवासी- डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, हरिओम गली, हरिओम भवन, सिरोही, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म हरिओम, राजमाता धर्मशाला रोड, सिरोही, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) एवं प्रतिवादी महेश परबत पुत्र श्री जगदीश परबत, निवासी- 55 सारणेश्वर जी वार्ड नं. 21, सिरोही, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सारणेश्वर ट्रेडर्स, जिला उद्योग केन्द्र के सामने, सिरोही, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) तथा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सोन पपडी (कान्हा ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु SANWARIA SWEETS PRIVATE, F-837 & 838. RIICO Industrial Area, Phase-III, Sitapura, Jaipur-302022 पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:43 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर. खौड)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,